

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19 ए विधान सभा मार्ग लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद—मुजफ्फर नगर,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/स0प0/21/2018-19/ 9797 दिनांक 17-12-18

विषय : जनपद में राज्य स्तरीय टीम द्वारा सर्पोटिव सुपरविजन के अन्तर्गत भ्रमण में पायी गयी कमियों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक महोदय के पत्र संख्या : एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0एण्ड0ई0/2018-19/18/565 दिनांक 24.04.2018 के क्रम में दिनांक 26 से 30.11.2018 के मध्य डॉ0 आनन्द अग्रवाल उपमहाप्रबन्धक किशोर स्वास्थ्य एवं श्री अरुण श्रीवास्तव, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एन0यू0एच0एम0 द्वारा जनपद मुजफ्फर नगर की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों का सर्पोटिव सुपरविजन किया गया जिसमें चिकित्सा इकाईयों में अनेक कमियां पाई गई जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट, पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आप से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों में अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय




(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/स0प0/21/2018-19/

तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, जनपद मुजफ्फर नगर, उ0प्र0।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, उ0प्र0।
3. महाप्रबन्धक एम0 एण्ड ई0, एस0पी0एम0यू0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सहारनपुर मण्डल, उ0प्र0।
5. मण्डलीय सलाहकार, क्वालिटी एश्योरेन्स, सहारनपुर मण्डल, उ0प्र0।
6. मण्डलीय सलाहकार, अरबन हेल्थ, सहारनपुर मण्डल उ0प्र0।
7. जनपदीय सलाहकार, क्वालिटी एश्योरेन्स, जनपद मुजफ्फर नगर, उ0प्र0।
8. अर्बन हेल्थ कोर्डिनेटर, जनपद मुजफ्फर नगर, उ0प्र0।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जनपद मुजफ्फर नगर, उ0प्र0।
10. स्टाफ आफिसर, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।


(डा0 अश्विनी कुमार)
महाप्रबन्धक (एन0पी0)

जनपद—मुजफ्फरनगर भ्रमण आख्या
भ्रमण अवधि—दिनांक 26.11.2018 से 30.11.2018

राज्य स्तरीय टीम

- डा0 आनन्द अग्रवाल, उपमहाप्रबन्धक, आर.के.एस.के., एस.पी.एम.यू.—एन.एच.एम., लखनऊ।
- श्री अरुण श्रीवास्तव, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एस.पी.एम.यू.—एन.एच.एम., लखनऊ।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र दिनांक 24.4.2018 के अनुपालन क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 26—30 नवम्बर 2018 तक मुजफ्फरनगर की स्वास्थ्य इकाईयों में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गतिविधियों की सपोर्टिव सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग की गई। भ्रमण में पाये गये मुख्य बिन्दु की विस्तृत रिपोर्ट निम्नवत है:—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मखियाली : भ्रमण के दौरान इकाई के डा0 महक सिंह चिकित्सा अधिकारी, ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, ब्लाक एकाउन्ट मैनेजर एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

क्र.सं.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
1.	भ्रमण की पूर्व सूचना दिये जाने के उपरान्त अधिकतर कर्मचारी विलम्ब से इकाई पर उपस्थित हुये।	समय से समस्त स्टाफ की उपस्थिति प्रत्येक दिवस समय से सुनिश्चित की जाय एवं नियमित रूप से विलम्ब से आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध चेतावनी जारी करें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
2.	आर.बी.एस.के. टीम विद्यालय के समय से ना जाकर इकाई पर 10 बजे उपस्थित होने के उपरान्त भ्रमण पर जाती है।	विद्यालय के समय के अनुसार टीम का भ्रमण एवं मूवमेंट रजिस्टर भरा जाना सुनिश्चित किया जाय।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक
3.	आर.बी.एस.के. टीम द्वारा मूवमेंट रजिस्टर मानकारूप नहीं भरा जा रहा है।		
4.	टीम बी की डा0 सोनिया उपाध्याय बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पायी गयी।	स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।	
5.	टीम द्वारा रजिस्टर में प्रविष्टियां पूर्ण रूप से नहीं भरी जा रही है।	टीम द्वारा समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से भरा जाय।	
6.	आर.बी.एस.के. टीम हेतु संचालित वाहन की लाग बुक में मीटर रिडींग नहीं भरी जा रही है।	लॉग बुक में मीटर रीडिंग भरा जाना सुनिश्चित किया जाय।	
7.	टीम द्वारा रिकार्ड एवं सामान इकाई पर नहीं रखा जाता है एवं सदस्यों के द्वारा घर पर ले जाता है।	इकाई पर रिकार्डों का रख रखाव सुनिश्चित किया जाय।	
8.	दिशा निर्देशों के अनुसार भ्रमण के दौरान विफ़्स का डाटा बेस तैयार नहीं किया जा रहा है।	भ्रमण उपरान्त विफ़्स का डाटा बेस तैयार किया जाय।	
9.	दवाओं के स्टाक बुक में अंकित प्रविष्टियों एवं भौतिक सत्यापन में अन्तर पाया गया।	प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाय।	
10.	डेड स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	रजिस्टर तैयार करते हुये अपडेट किया जाय।	
11.	इकाई पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी।	साफ सफाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।	
12.	ड्यूटी रोस्टर कही भी प्रदर्शित नहीं की गयी थी।	ड्यूटी रजिस्टर बनाया जाय।	
13.	सुझाव एवं शिकायत पेटिका में ताला नहीं लगाया गया था।	ताला लगवाना एवं रजिस्टर बनवाना सुनिश्चित किया जाय।	
14.	सपोर्टिव सुपरविजन की चेकलिस्ट नहीं भरी जा रही है और इस वित्तीय वर्ष में कोई भी फ़ैसलिटी की चेकलिस्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है।	चेकलिस्ट भरा जाना एवं उसको अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	

डा0 आनन्द कुमार अग्रवाल,
उपमहाप्रबन्धक—आर.के.एस.के.
एस.पी.एम.यू.—एन.एच.एम.

15.	एन.डी.डी. के अन्तर्गत निर्धारित आंगनवाड़ी एवं शिक्षको प्रशिक्षण केन्द्र पर न कराते हुये ए.बी.एस.ए. एवं सी.डी.पी.ओ. के कार्यालय में कराया गया जिसके रिकार्ड इकाई पर उपलब्ध नहीं पाये गये जबकि भुगतान रु0 18000/- किया जा चुका है।	सक्षम स्तर से जांच करा ली जाय।	
16.	वर्ष 2017-18 में विफ़्स कार्यक्रम की ब्लू आई.एफ.ए. की 5 लाख टैबलेट पूरी की पूरी ए.एन.एम. को वितरित कर दी गयी है।	सक्षम स्तर से जांच करा ली जाय।	
17.	प्रसव कक्ष में Emergency Tray, Delivery Kit, Kelly's pad, Colour Coded Bins, foot step, curtain, mecontosh, Function waighting machine, Digital Clock, Suction machine, Function BP instrument, etc उपलब्ध नहीं पाये गये।	इक्यूमेंट की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये।	
18.	प्रसव कक्ष में क्रियाशील आक्सीजन सिलेण्डर नहीं था।	उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।	
19.	आक्सीजन सिलेण्डर का संचालन प्रसव कक्ष में तैनात डा0 एवं स्टाफ नर्स को नहीं पता था।	प्रशिक्षण कराया जाय।	
20.	प्रसव कक्ष में सरसों तेल की षिषियां पायी गयी।		
21.	रेडियन्ट वार्मर क्रियाशील नहीं था।		
22.	प्रसव कक्ष में प्रिन्ट रजिस्टर, केस पीट एवं अन्य रिकार्ड अपूर्ण या नहीं पाये गये।		
23.	प्रसव कक्ष में नवजात षिषु की वजन मशीन अक्रियाशील होने के उपरान्त भी सभी नवजात के वजन को संभावित दर्ज किया गया था।		
24.	प्रसव कक्ष में इक्सपायरी दवायें एवं जीवन रक्षक इन्जेक्शन पाये गये।		
25.	प्रसव कक्ष की खिडकियों पर पर्दे नहीं लगे हुये थे।		
26.	जे.एस.एस.के के अन्तर्गत सुबह केवल बिस्कुट एवं दूध दिया जा रहा है एवं दोपहर में भोजन प्रदान नहीं किया जा रहा है।	नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की जाय।	
27.	प्रसव हेतु आयी हुयी लाभार्थी साहिबा पत्नी अली हसन ग्राम भिक्की के परिवार जनों के द्वारा लेबर रूम में तैनात डा0 नीरु एवं अन्य स्टाफ द्वारा 1100 रु0 लिये जाने की षिकायत की गयी।		
28.	पूर्व में भी प्रभारी चिकित्साधिकारी के द्वारा लेबर रूम में तैनात डा0 नीरु एवं अन्य स्टाफ द्वारा पैसे लिये जाने के सम्बन्ध में चेतावनी पत्र दिया गया है।		
29.	आयुष चिकित्सक डा0 नीरु के द्वारा डिलीवरी करायी जा रही है।		

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरी :

क्र.सं.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
1.	इकाई पर तैनात स्टाफ नर्स को एच0आर0पी0 के विषय में कोई जानकारी नहीं थी।	स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करायी जानी है।	नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0/अर्ब न हेल्थ कोआर्डिनेटर
2.	स्टोर में दवाइयों का रख रखाव सही ढग से नहीं किया गया है एवं लेबलिंग नहीं थी।	लेबलिंग करते हुये दवाइयों को सही प्रकार से रखा जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी /नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0/जिला कार्यक्रम प्रबंधक


 डॉ. अनुराग कुमार अग्रवाल
 उपस्थित प्रबन्धक-आर.के.एस.के.
 एस.पी.एम.यू.-एन.एच.एम.

3.	एकपायरी रजिस्टर को माह वार नहीं बनाया गया है।	नियमानुसार एकपायरी रजिस्टर बनाना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्सा अधिकारी / फार्मोसिस्ट
4.	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बायो मेट्रिक को स्थापित नहीं कराया गया है।	नोडल अधिकारी को बायो मेट्रिक मशीन स्थापित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
5.	राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार इकाई पर समस्त उपकरण/कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध नहीं थे जैसे - आक्सीजन स्टैंड, शिकायत पेटिका, कन्डोम बाक्स, इमरजेन्सी ट्रे, स्ट्रैचर, एवं कैलीस्पैड आदि।	सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0
6.	इकाई पर पीने के पानी व्यवस्था नहीं है।	पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।	
7.	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव कराये जा रहे हैं परन्तु स्टाफ नर्सों को एस.बी. ए. का प्रशिक्षण नहीं कराया गया है।	स्टाफ नर्स को एस0बी0ए0 में प्रशिक्षित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।	जिला कार्यक्रम प्रबंधक
8.	प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल, 05 ट्रे, केस शीट, डिजीटल क्लॉक एवं अन्य सामान नहीं थे।	केन्द्र का प्रसव कक्ष का रख-रखाव नियमानुसार किये जाने हेतु	
9.	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानकानुसार आई0ई0सी0 का प्रदर्शन नहीं किया गया था।	केन्द्र पर मानकानुसार आई0ई0सी0 सामग्री का प्रदर्शन किया जाये।	अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर / नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0
10.	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कण्डोम बाक्स प्रदर्शित नहीं कराया गया है।	केन्द्र पर कण्डोम बाक्स स्थापित करना सुनिश्चित करें।	
11.	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लैब स्थापित नहीं है, एवं लैब टैक्निशियन का पद रिक्त है।	लैब की स्थापना करायी जाय।	

यू0एच0एन0डी0 रामपुरी वार्ड न0 15 - आगंनवाडी केन्द्र

क्र.सं.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/प्रस्तावित सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
1.	सत्र स्थल पर मानकानुसार ड्यूलिस्ट नहीं थी।	प्रशिक्षण प्राप्त होते हुये नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें	अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर / नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0 / जिला प्रतिरक्षण अधिकारी
2.	टी0 सिरिज की वैक्सीन सीधे आईस पैक पर रखी गयी थी।		
3.	आयरन की गोलिया उपलब्ध नहीं थी।		
4.	बी0पी0 उपकरण, वजन मशीन, हिमोग्लोबिन स्ट्रीप, सत्र स्थल पर उपलब्ध नहीं थी।		
5.	ए0एन0एम0 को एच0आर0पी0 के विषय में कोई जानकारी नहीं थी।		
6.	ए0एन0एम0 के पास काउन्टर फाईल उपलब्ध नहीं थी।		
7.	सत्र स्थल पर परिवार नियोजन के साधन में केवल कन्डोम ही उपलब्ध थे।		

जिला पुरुष चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर

गतिविधि	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
डायबटिक क्लीनिक	<ul style="list-style-type: none"> जिला पुरुष चिकित्सालय में स्थापित डायबिटीज क्लिनिक पर कार्यरत चिकित्सक डॉ० त्यागी की अनुपस्थिति में फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा मरीज देखे जा रहे थे। इससे पूर्व के भ्रमण के दौरान भी डॉ० त्यागी अपनी क्लिनिक पर उपस्थित नहीं थे और मरीज फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही देखे जा रहे थे। माह मई में किये गए भ्रमण के दौरान भी डॉ० त्यागी एवं फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों का परीक्षण किये बिना ही रजिस्टर में एंट्री करते पाए गए थे, जिसके 	पुनः वही प्रकरण मिलने से प्रतीत होता है, कि उनके द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस विषय में अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में त्वरित अपेक्षित कार्यवाही करें।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी


 (डॉ० आनन्द कुमार अग्रवाल)
 उपमहाप्रबन्धक-आर.के.एस.के.
 एस.पी.एम.यू.-एन.एच.एम.

	<p>लिए उन्हें चेतावनी भी दी गई थी ।</p> <ul style="list-style-type: none"> अभी भी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा रजिस्टर में बिना किसी जांच के ही रक्तचाप भरा जा रहा था, क्योंकि उसके पास ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र ही नहीं था । मरीजों का वजन एवं हाइट भी नहीं नापी जा रही थी । मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस विषय में अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में त्वरित अपेक्षित कार्यवाही करें । 		
आर०के०एस० के० कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> पुरुष किशोर स्वास्थ्य काउंसलर द्वारा नियमों के विपरीत में खांसी जुकाम बुखार के मरीज देखे जा रहे हैं । महिला चिकित्सालय के मन कक्ष में काउंसलर अपना निर्धारित कार्य न कर अन्य कार्य कर रहे हैं । पुरुष किशोर स्वास्थ्य काउंसलर चिकित्सालय के लिपिकीय कार्य करने पर विवश किया जा रहा है । काउंसलर के किये गए कार्य की समीक्षा करने से प्रतीत होता है कि उसके द्वारा सारा रजिस्टर एक साथ एक ही तारीख में भरा गया है । काउंसलर द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण कभी भी जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है । पिछले भ्रमण के पश्चात् मिशन निदेशक स्तर से इसके लिए पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । महिला किशोर स्वास्थ्य काउंसलर के सम्बन्ध में अपनी विस्तृत आख्या भेजने हेतु लगभग 2 माह पूर्व पत्र प्रेषित किया गया था जिसका उत्तर अभी तक अप्राप्त है । पूछने पर ज्ञात हुआ कि काउंसलर द्वारा अभी तक आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराये गए हैं । इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि काउंसलर को चेतावनी जारी कर 3 दिनों की समय सीमा में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए । अन्यथा की दशा में मान लिया जाए कि उसे अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ऐसी स्थिति में उसकी संविदा समाप्ति की अग्रेतर कार्यवाही प्रारंभ की जाये 	मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस विषय में अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में त्वरित अपेक्षित कार्यवाही करें ।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
एन०आर०सी०	<ul style="list-style-type: none"> एन०आर०सी० में कार्यरत स्टाफ नर्स को प्राइवेट वार्ड में भी लगाया गया है, जिसकी वजह से उनके अपने कार्य में बाधा उत्पन्न होती है । एन०आर०सी० में कार्यरत स्टाफ नर्स को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बद्ध किया गया है । मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इस विषय में पिछले भ्रमण के दौरान अवगत कराये जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । सभी कक्ष में समुचित एयर वेंटिलेशन की व्यवस्था किया जाना । उपयोग में लायी जा रही चादरों को चूहों ने कुतर दिया था, जिस कारण नयी प्रिंटेड चादरें उपलब्ध कराया जाना है । नये खिलौने एवं एक अलमारी उपलब्ध कराया जाना है । संज्ञान में आया है कि वर्ष 2017-18 में वहां कार्यरत नर्स के मानदेय का भुगतान दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया है, अपितु पिछले वर्ष के अनुसार ही किया गया है । 	पोषण पुनर्वास केंद्र की नर्स के सम्बन्ध में पिछले दो भ्रमण के पश्चात् की गई टिप्पणी पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है । मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस विषय में अनुरोध है कि नियमानुसार कार्यवाही एवं व्यवस्था सुनिश्चित करें ।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
साफ सफाई	<ul style="list-style-type: none"> जिला पुरुष चिकित्सालय में सफाई के लिए 	पिछले भ्रमण के पश्चात् की गई	मुख्य चिकित्सा



 डॉ० अनिल कुमार अग्रवाल

 उ० मा० प्रिबन्धक-आर.के.एस.के.

 एस.पी.एम.यू.-एन.एच.एम.

	अधिकृत एजेंसी एस ग्लोबल द्वारा अपने कर्मचारियों का वेतन कई कई महीने विलम्ब से दिया जाता है एवं उन्हें सफाई हेतु आवश्यक सामग्री तथा साधन भी उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं।	टिप्पणी पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। नियमानुसार कार्यवाही एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।	अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
--	--	--	----------------------------------



(अरुण श्रीवास्तव)
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर
एन.एच.एम.

Se
14/1/18



(डा० आनन्द अग्रवाल)
उपमहाप्रबन्धक, आर.के.एस.के.
एन.एच.एम.